दिनांक:10.06.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी व स्वॉट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 600 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड 20 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – ***"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी व स्वॉट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान ***01 नशा तस्कर अभियुक्त 1. तालिब पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम शेरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड*** *को पशु पैठ मैदान गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तालिब उपरोक्त के कब्जे से 600 ग्राम अवैध स्मैक व 01 तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 177 /26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पुछताछ का विवरण: - *अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै और मेरा साथी स्मैक बेचने का काम करते है आज भी मैं और मेरा साथी स्मैक बेचने के लिए यहाँ आये हुए थे मेरा साथ ग्राहक की तलाश में गया था। हम लोग अपने पास हथियार भी रखते है ताकि कोई खतरा हो तो तमंचा दिखाकर रौब जमाकर मौके से आसानी से निकला जा सके।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तालिब पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम शेरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी का विवरण -

- *600 ग्राम अवैध स्मैक*
- *01 अदद तमन्चा .315 बोर*
- *01 अदद कारतूस .315 बोर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

2. व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री नीरज सिहं स्वाट टीम प्रभारी जनपद सहारनपुर।

4. उ0नि0 श्री सतीश रोसा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

5. है0का0 81 हरेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर

6. है0का0 681 वसीम स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।

7. है0का0 578 जोगेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।

8. है0का0 306 अमित चिकारा स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।

9. है0का0 1132 सन्दीप कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।

10. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

11. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 10.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मोबाइल फोन झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 01 मोबाइल फोन (घटना से सम्बन्धित) बरामद ।

घटना का विवरणः-

दिनांक 18.03.2026 को वादी श्री सुमित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सुनेहटी खड़खडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 17.03.2026 को 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी फोन SAMSUNG F15 5G छीनकर कर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोबाइल फोन झपटामारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 वांछित अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र राजवीर नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर** व **2. समीर पुत्र इन्तजार गाँव कुटबा माजरा थाना बड़गांव जिला सहारनपुर** को भांबरी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित झपटा गया 01 मोबाइल फोन SAMSUNG F15 5G रंग हल्का बैंगनी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः- *अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो ने अपने साथी अक्षित, जो अभी सहारनपुर जेल मे बन्द है, के साथ मिलकर करीब तीन महिने पहले रात मे इसी मोटर साइकिल से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर नन्हेड़ा गाजी पुल के उपर मोटर साइकिल से जा रहे व्यक्ति का मोबाइल झपटा मार कर छीन लिया था और वहाँ से भाग गये थे। हमने इस मोटर साइकिल के युटिलिटी बाक्श मे छुपा रखा है। कल हम लोग पुलिस से बचते हुए उसी मोबाइल को बेचने के लिये जा रहे थे।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मोहित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर
2. समीर पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम कुटबा माजरा थाना बड़गांव जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *01 मोबाइल फोन SAMSUNG F15 5G रंग हल्का बैंगनी (घटना से सम्बन्धित)*
- *01 मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स UP11BF5985 (घटना मे प्रयुक्त)*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त मोहित पुत्र राजवीर का आपराधिक इतिहास</u>

- *1.मु0अ0स0 23/26 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. *थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेड़ी सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री राजकुमार तोमर,थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
3. *रि0का0 839 संजू थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
4. *रि0का0 294 सतीश थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
5. *रि0का0 881 गजेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
6. *रि0का0 878 य़शपाल, थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक 10.06.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

☐ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही ☐

थाना जनकपुरी पुलिस का मादक पदार्थो की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त इंतजार उर्फ बाबर पुत्र इसरार उर्फ साना निवासी मो0 अम्बेहटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर*** *को अस्पताल के पीछे वाली रोड पर सरकारी ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से* ***120 ग्राम अवैध चरस*** *बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 136/26 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *इंतजार उर्फ बाबर पुत्र इसरार उर्फ साना निवासी मोहल्ला अम्बेहटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण-

- *120 ग्राम चरस*

अपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 403/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड, स0पुर
2- मु0अ0सं0 194/17 धारा 60 आब0अधि0 थाना गंगोह, स0पुर
3- मु0अ0सं0 279/16 धारा 147/149/336 भादवि व 7 सीएलए थाना नकुड, स0पुर
4- मु0अ0सं0 136/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *उ0नि0 श्री राजकुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।*
2. *है0कां0 580 उस्मान थाना जनकपुरी, सहारनपुर।*
3. *का0 2343 संदीप, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।*
4. *का0 2532 गौरव, थाना जनकपुरी,सहारनपुर।*

दिनांक- 10.06.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना नकुड पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 114 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सद्दाम पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को घाटमपुर रोड पर स्थित ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 114 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 320/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण:- *पूछताछ में अभियुक्त सद्दाम द्वारा बताया गया कि मैं पहले भी कई बार जेल जा चुका हूं, मैं अपने साथी के साथ मिलकर स्मैक तस्करी का काम करता हूं मुझसे जो स्मैक मिली है वह स्मैक मैं गंगोह बाईपास पर ट्रक वालों को व अपने सप्लायर के द्वारा बताये हुए व्यक्तियों को दे देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

114 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. *मु0अ0सं0 64/19 धारा 380/411 भादवि थाना नकुड,स0पुर*
2. *मु0अ0सं0 65/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड,स0पुर*
3. *मु0अ0सं0 547/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड,स0पुर*

4. मु0अ0सं0 251/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड,स0पुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u> -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,

2. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,

3. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,

4. का0 1259 विनित तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,

5. रि0का0 अजय चौहान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 बांस का डण्डा बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 08.06.2026 को वादी श्री प्रशान्त राणा पुत्र हेमेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बबेल बुजुर्ग थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण शोयब अली आदि 04 व्यक्तियों द्वारा पहले से घात लगाकर खडे होने व वादी को जान से मारने की नीयत से हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 229/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/126(2)/351(2)/131 बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त शोयब अली पुत्र एहसान निवासी कमालपुर रोड़, चाँद कॉलोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** ग्राम रजापुर जाने वाले रास्ते पर फ्लाई ओवर के नीचे से घटना में प्रयुक्त बांस के डण्डे सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोयब अली पुत्र एहसान निवासी कमालपुर रोड़, चाँद कॉलोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

एक बाँस का डण्डा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राकेश पंवार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. रि0का0 798 जतिन कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: 10.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध छूरी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ***फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त इसरार पुत्र जमील निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर*** *को बिजली घर के आगे रेलवे लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इसरार उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध छूरी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 317(5)/318(4) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इसरार पुत्र जमील निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *01 फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल UP11BQ1015*
- *01 अवैध छूरी बरामद*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
2. *का0 1069 अंकित कुमार थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 10.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी धनराशि से 01 लाख रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

आवेदक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र गंगा चरण शर्मा नि0 विशनुधाम गली नं0 2, माधव नगर, सहारनपुर मो0नं0 9456805257 द्वारा दिनांक 09.06.26 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से कॉल कर रिटायरमेंट बेनिफिट दिलाने का झांसा देकर वादी से बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त कर लिंक भेजकर परमिशन Allow कराने, इसके उपरांत प्रार्थी के विभिन्न बैंक खातों से कुल ₹12,76,500/- रूपये की धनराशि अज्ञात व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 32/2026 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस, 66 सी, 66डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए **आवेदक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से 1,00,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।**

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. विवेचक/ निरीक्षक श्री राजीव कुमार सक्सेना, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 नीरज कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 1141 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक 10.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से मुकदमे से संबंधित 720/- रुपये नकद बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 28.04.2026 को वादी का0 2431 दीपक कुमार तैनाती थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा दिन के समय ग्राम कुतुबपुर मे स्थित गोंगाम्हाड़ी मंदिर मे रखे दानपात्र /गल्ले मे से लगभग 1000-1500/-रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मु0अ0सं0-138/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया |

पुलिस कार्यवाहीः-

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए ***01 वांछित अभियुक्त सोनू अली पुत्र फरद हसन नि0 ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*** *को पैट्रोल पम्प से शाहजहांपुर की ओर जाने वाले रोड के किनारे ट्यूवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 720/- रुपये नकद (सम्बन्धित मु0अ0स0 138/26 धारा 303(2) बीएनएस) बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनू अली पुत्र फरद हसन नि0 ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

कुल 720/- रुपये बारमद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू अली उपरोक्त

1. *मु0अ0सं0 138/2026 धारा धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

2- उ0नि0 श्री देवेन्द्र पाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3- हे0का0 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

4- रि0का0 2580 कासिम अहमद थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक- 10.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ गाली-गलौच कर मारपीट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 03.06.2026 को वादी उवैश पुत्र मुमताज निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकुल पुत्र प्रीतम आदि 03 व्यक्तियों द्वारा वादी के नाबालिग भाई के साथ गाली गलौच कर लात घुसो व बेल्ट से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 231/26 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.6.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नाबालिग बच्चे के साथ गाली गलौच कर लात घुसों/बेल्ट से मारपीट करने व जान सें मारने की धमकी देने वाला **01 वांछित अभियुक्त अंकुल पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम गदरहेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

अंकुल पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. रि0का0 798 जतिन कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्कार्पियो गाडी सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

*अवगत कराया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध वाहन/ व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्कार्पियों गाड़ी सहित **अभियुक्त बचन पुत्र लख्मीचन्द निवासी ग्राम भटौल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 414/2026 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1-बचन पुत्र लख्मीचन्द निवासी ग्राम भटौल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 स्कॉर्पियो गाडी फर्जी नम्बर प्लेट लगी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1- उ0नि0 श्री शिवम चौधरी चौकी प्रभारी मकबरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2- रि0का0 694 आकाश थाना देवबन्द सहारनपुर

दिनांकः 10.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा कूटरचित/भ्रामक दस्तावेज के आधार पुलिस की लिखित परीक्षा में सम्मिलित 01 अभ्यर्थी गिरफ्तार, कब्जे से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पैन कार्ड बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 09.06.2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा के दौरान गुरू नानक गर्ल्स इण्टर कॉलेज, सहारनपुर (केन्द्र कोड-74009) पर कार्यदायी संस्था द्वारा **अभ्यर्थी मुकेश कुमार पुत्र सत्यपाल (अनुक्रमांक-7400904513)** के आधार सत्यापन में विसंगति की सूचना प्राप्त हुई। परीक्षा उपरांत पुनः बायोमैट्रिक एवं आधार सत्यापन कराए जाने पर पाया गया कि **अभ्यर्थी के बायोमैट्रिक विवरण दो अलग-अलग आधार कार्डों से मेल खा रहे थे, जिसमें एक नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री सत्यपाल जन्मतिथि 15.07.1997 और दूसरा नाम प्रथमेश पुत्र श्री सुनील टिकले जन्मतिथि 05.10.2002 के नाम से प्रदर्शित** हो रहा था। उक्त कार्यवाही निरीक्षक श्री यतेन्द्र कुमार (केन्द्र प्रभारी पुलिस), श्रीमती बलविन्दर कौर (केन्द्र व्यवस्थापक), श्री प्रवीन कुमार (स्टैटिक मजिस्ट्रेट) एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। प्रथम दृष्टया अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में कूटरचित/भ्रामक अभिलेखों का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने का प्रयास किये जाने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 265/26 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस** के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद सहारनपुर में प्रचलित उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2025 को सुचितापूर्ण, पारदर्शी व नकल विहीन सम्पन्न कराने को लेकर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी व निरीक्षक श्री यतेन्द्र कुमार (केन्द्र प्रभारी पुलिस) द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा देता **01 अभ्यर्थी/अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र श्री सत्यपाल (अनुक्रमांक 7400904513) निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत** के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

मुकेश कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंधावली अहीर जिला बागपत

बरामदगी का विवरणः-

आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पैन कार्ड,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री यतेन्द्र कुमार केन्द्र प्रभारी पुलिस सहारनपुर पुलिस लाईन
3. उ0नि0 श्री सुनील शर्मा थाना मंडी जिला सहारनपुर